Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में कमाण्डेंट व कंपनी कमांडर 25,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 07 जुलाई, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर-द्वितीय ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी चन्द्रपाल सिंह शेखावत उम्र 58 वर्ष हाल कम्पनी कमाण्डर (प्रशासन) होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर व श्री नवनीत जोशी उम्र 47 वर्ष निवासी 45, हाल कमंडेंट/समादेश, होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, एमआई रोड जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव (कार्यवाहक महानिदेशक, एसीबी)** ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर-द्वितीय जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी को निलम्बन से बहाल करने व ड्यूटी पर लगाने की एवज में श्री नवनीत जोशी कमांडेंट गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर द्वारा श्री चन्द्रपाल सिंह कम्पनी कमाण्डर के साथ मिलिभगत कर 2,00,000/- रूपये की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। जिसमें 25-25 हजार की 8 किश्तों के रूप में रिश्वत राशि का लेना तय हुआ जिसकी पहली किश्त के रूप में परिवादी से 25,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए आरोपीगण को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय श्री राहुल कोटोकी** के सुपरविजन में एसीबी चौकी जयपुर नगर-द्वितीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश किलानिया** व **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री छोटीलाल मीणा** द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपीगण चन्द्रपाल सिंह शेखावत कम्पनी कमाण्डर व नवनीत जोशी, समादेष्टा/कमाण्डेंट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर को 25,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी नवनीत जोशी के आवास की तलाशी में 4,85,000/- रूपये नगद व 05 भूखण्डों के दस्तावेज तथा चन्द्रपाल सिंह के आवास की तलाशी में 2,57,000/- रूपये नगद व रिहायशी आवास के अलावा 02 प्लॉट के दस्तावेज मिले है।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।